



2026:AHC:129378

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं० - 18740/2026

महेन्द्र सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : हरीश चन्द्र मिश्रा

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं० - 73

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- आज दाखिल अनुपूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया गया।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चन्द्र मिश्रा तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. श्री राजेश कुमार शुक्ला को सुना गया।
- यह आवेदन आवेदक-महेन्द्र सिंह की ओर से बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत मु.अ.सं० 132/2024, अन्तर्गत धारा 302, 120बी आई.पी.सी., थाना- लहचुरा, जिला- झांसी में जमानत पर मुक्त करने हेतु दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दि० 09.08.2024 को प्रातः 01:35 बजे आवेदक तथा अन्य दो अभियुक्तों के विरुद्ध "0132/2024" संख्या की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 302/120बी आई.पी.सी. के अन्तर्गत इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई कि आवेदक ने अन्य सह-अभियुक्तों सहित दि० 09.04.2023 को मृतक को ले जाकर उसे अवैध शराब पिलाकर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसकी हत्या कर दी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत दर्ज कराई गई, किन्तु यह विलम्बित है, क्योंकि घटना दि० 09.04.2023 की है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दि० 09.08.2024 को दर्ज कराई गई। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण ने अपराध कारित नहीं किया है तथा केवल संदेह एवं अंतिम बार देखे जाने के सिद्धान्त के आधार पर आवेदक को इस प्रकरण में फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मृतक आदतन शराबी था तथा अवैध शराब पीने का आदी था और उसी का सेवन करते हुए उसकी मृत्यु हुई। आवेदक ने अनुच्छेद सं० 24 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए तर्क दिया कि आवेदक का चार आपराधिक मामलों, यथा मुकदमा सं० 74/2018, 78/2018, 101/2018 का आपराधिक इतिहास है, तथा अनुपूरक शपथ-पत्र की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह भी बताया कि एक अन्य आपराधिक मुकदमा सं० 240/2005 भी है। इन समस्त चार प्रकरणों में आवेदक को जमानत प्राप्त हो चुकी है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक विवेचना में सहयोग करेगा। यह भी तर्क दिया गया कि सह-अभियुक्त किशोरी लाल को भी दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन सं० 4369/2021 में जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के निवेदनों पर विचार करते हुए, प्रथम दृष्टया आवेदक जमानत पर मुक्त किये जाने का अधिकारी प्रतीत होता है, क्योंकि आवेदक का आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया जा चुका है तथा सह-अभियुक्त को पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

6. आवेदक- **महेन्द्र सिंह** को मु.अ.सं० 132/2024, अन्तर्गत धारा 302, 120बी आई.पी.सी., थाना- लहचुरा, जिला- झांसी में संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये:-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही साक्षियों को धमकायेगा।

(ii) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र दाखिल करेगा कि साक्ष्य हेतु नियत तिथि, जिस पर साक्षीगण उपस्थित हों, पर वह स्थगन नहीं मांगेगा। व्यतिक्रम की दशा में विचारण न्यायालय इसे जमानत का दुरुपयोग मानते हुए विधि-सम्मत कार्यवाही कर सकेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय में उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय बी.एन.एस. की धारा 269 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

(iv) जमानत के दुरुपयोग की दशा में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकेगी तथा उसमें नियत तिथि पर उपस्थित न होने पर विचारण न्यायालय बी.एन.एस. की धारा 209 के अन्तर्गत कार्यवाही करेगा।

(v) आवेदक (1) सुनवाई शुरू होने, (2) आरोप विरचित किये जाने, तथा (3) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित किये जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय इसे जमानत का दुरुपयोग मानते हुए कार्यवाही कर सकेगा।

(vi) आवेदक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को संबंधित थाने पर उपस्थित रहेगा।

7. यह भी निर्देशित किया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, प्रास्थिति एवं निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित प्राधिकारी द्वारा बंध-पत्र स्वीकार किये जाने से पूर्व किया जाये।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा। आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई कोई भी टिप्पणी साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेगी।

9. तदनुसार जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

29 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।